

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 10 JUL 2014

—: आदेश :—

श्री महेन्द्र भारद्वाज, मिडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 18/2014 है तथा इनका निजी आवास (164/110, हल्दीघाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर) होने की स्थिति इनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए 'आऊट ऑफ टर्न' के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र/2/2014 दिनांक 24.6.2014 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या I/ए/3 तृतीय तल, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या I/ए/2 द्वितीय तल, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार तीन गुणा किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्थानान्तरण उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र/2/2014 दिनांक 24.6.2014 के द्वारा श्री गिरिराज सिंह, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर को आवंटित राजकीय आवास संख्या I/ए/2, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का कब्जा लेने के इच्छुक नहीं होने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र भारद्वाज, मिडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्री गिरिराज सिंह, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग / जयपुर विभाग लिंगम लिंगम, गांधीनगर, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड -गा, जयपुर।
16. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
17. सम्बन्धित अधिकारीगण।
18. निदेशक / उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
20. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3,5 तथा 6) विभाग।
21. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
22. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
23. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव